# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—297 / 2016 / 223 (2016 / 00297)**

1. भीमसिंह पुत्र राजसिंह, जाति राजपूत, निवासी फारकिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. सुजानसिंह पुत्र राजसिंह,
2. सज्जनसिंह पुत्र राजसिंह,
3. रतनसिंह पुत्र राजसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, नि0 फाारकिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
5. लाड कंवर पुत्री राजसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   5 / 1— सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 लाड कंवर, जाति राजपूत, नि0 फारकिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
   5 / 2— श्रीमती नन्द कंवर पुत्री स्व0 श्रीमती लाड कंवर पत्नि गणपतसिंह, जाति राजपूत, नि0 सनोद, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
6. अंजना पुत्री राजसिंह,
7. पुष्पा कंवर पुत्री राजसिंह,
   जाति राजपूत, नि0 फारकिया, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
8. श्रीमती संतोष कंवर पुत्री राजसिंह पत्नि भैरूसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   8 / 1— गजराजसिंह पुत्र भैरूसिंह,
   8 / 2— सुमन कंवर पुत्री भैरूसिंह,
   जाति राजपूत, नि0 कूकडमोर, तह0 टोडारायसिंह, जिला टोंक ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 8.7.2016 अंतर्गत वाद संख्या 122 / 2012.**

**उपस्थितः—**

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री दिनेश कुमार, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित ।
4. श्री पुरूषोत्तम, वकील रेस्पो0 संख्या 5.
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 4.

## निर्णय

**दिनांकः— 16.1.2020**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद संख्या 82/2010 वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि ग्राम फारकिया, तह0 केकड़ी स्थित आराजी खसरा नंबर 242, 243, 244, 876, 877, 897, 1000, 1029, 1131, 1132 कुल किता 10 कुल रकबा 8.90 है0 तथा ग्राम देवपुरा स्थित आराजी खसरा नंबर 295, 304, 305, 336 कुल किता 4 कुल रकबा 2.10 है0 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 राजसिंह के पुत्र होकर सगे भाई है । राजसिंह का दिनांक 8.3.1985 को तथा माता श्रीमती फूलबाईं का दिनांक 3.5.2010 को स्वर्गवास हो चुका है जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है तथा संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है । दिनांक 2.6.2010 को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3/अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 3 से बंटवारा करने हेतु निवेदन किया कि जिस पर लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो गये। इस कारण न्यायिक विभाजन हेतु यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर वादी के 1/4 हिस्से की भूमि मौके तथा रिकार्ड में पृथक खाता अंकित कर उक्त हिस्से पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते राजसिंह की पुत्रियों रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 द्वारा भी अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध वाद संख्या 122/2012 वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया था। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.2016 द्वारा वादी का वाद संख्या 82/2010 स्वीकार किये जाने वाद संख्या 122/2012 में अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होने का अंकन कर वाद खारिज करने का निर्णय पारित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वाद पत्र संख्या 82/2010 एवं 122/2012 में अंकित तथ्यों से वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान यथा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 तथा 5 से 8 के पिता राजसिंह पुत्र माधोसिंह की खातेदारी की भूमि होकर पक्षकारान की पुश्तैनी आराजियात होना सिद्ध हो चुका था तथा यह भी सिद्ध था कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 तथा 5 से 8 राजसिंह पुत्र माधोसिंह के पुत्र पुत्रियां होकर वारिसान है । पक्षकारान हिन्दू है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधान लागू होते है जिसकी धारा 6 व 8 के अनुसार पिता की खातेदारी में दर्ज आराजियात में विरासत के आधार पर पुत्र व पुत्रियां प्रथम श्रेणी के वारिस होकर सभी बहिस्सा बराबर प्राप्त करने के अधिकारी है । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने दोनों वाद पत्रो का निस्तारण गैर कानूनी रूप से कर दिया । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान को राजसिंह से विरासत में प्राप्त हुई है लेकिन राजस्व एजेन्सी द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों के बाहर जाकर गैर कानूनी रूप से राजसिंह की विरासत का नामांतकरण मात्र पुत्र संतानों के नाम तस्दीक किया जबकि राजसिंह के चार जायंदा पुत्रियां यथा रेस्पो0 संख्या 5 से 8 भी है जिन्हे अपनी बहिनें होने से

अपीलांट अथवा रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा कतई इंकार नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 को अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 तथा 5 से 8 प्रत्येक को 1/8, 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित कर इसी अनुसार बंटवारा की प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिये थी । वादपत्र संख्या 82/2010 मात्र त्रुटिपूर्ण विरासत नामांतकरण के आधार पर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा मूल रूप से वारिसान के मध्य 1/4, 1/4 हिस्से के बंटवारा बाबत् प्रस्तुत किया गया था जबकि त्रुटिपूर्ण विरासती नामातकरण के आधार पर न तो रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 के विवादित भूमि में निहित काश्तकारी अधिकारों का अवसान हुआ है न ही रेस्पो0 संख्या 5 से 8 के हिस्से की आराजी के स्वत्व अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 में निहित हुए है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 5 से 8 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 122/2012 उद्घोषणा खातेदारी हेतु प्रस्तुत किया गया था ऐसी स्थिति में दोनों वाद पत्रों की विषयवस्तु एवं दादरसी के आधार पर पृथक–पृथक निर्णय पारित किया जाना चाहिये था लेकिन बंटवारा वाद का हवाला देते हुए रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 का वाद संख्या 122/2012 का निस्तारण यह अंकित करते हुए कर दिया कि पूर्व वाद संख्या 82/2010 में भी रेस्पो0 संख्या 5 से 8 पक्षकार है जिसका निर्णय किया जा चुका है अतः वाद संख्या 122/2012 के प्रकरण में अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं है । कतई त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है क्योंकि वाद संख्या 122/2012 में रेस्पो0 संख्या 5 से 8 के हक मे उद्घोषणा खातेदारी जारी करने बाबत् निवेदन किया गया था जबकि वाद संख्या 82/2010 में रेस्पो0 संख्या 5 से 8 की उद्घोषणा खातेदारी बाबत् कोई अंकन नहीं था । अधी0न्याया0 ने दोनों वादों में त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किये है ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद संख्या 82/2010 में प्राथमिक आज्ञाप्ति पारित करते हुए इस वाद के निर्णय के अंत में वाद पत्र संख्या 122/2012 का बिना परीक्षण किए सूक्ष्म शब्दों में आदेश पारित कर दिया जिससे वाद संख्या 82/2010 में पारित निर्णय भी प्रथमदृष्टया शून्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याा0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.2016 निरस्त किया जावे तथा वाद संख्या 82/2010 एवं वाद संख्या 122/2012 को संयोजित कर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 तथा 5 से 8 प्रत्येक को 1/8, 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर, इसी अनुसार बंटवारा किया जाकर पक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। विवादित आराजियात में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 एवं अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की मां फूलाबाई बेवा राजसिंह का देहांत दिनांक 3.5.2010 को हो गया था । वादग्रस्त आराजियात वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात है जिसमें प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से बंटवारे की डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 को जवाब हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये थे किन्तु इनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया था । बहस में यह भी कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के पिता का वर्ष 2005 से पूर्व देहांत होने से इनका विवादित आराजियात में किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अतः' अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 5 ने अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 सुजानसिंह द्वारा सज्जनसिंह, रतनसिंह व भीमसिंह पुत्रान राजसिंह के विरूद्ध वाद संख्या 82/2010 अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम फारकिया व ग्राम देवपुरा तहसील केकड़ी स्थित भूमि खेवट संख्या 113 खतौनी संख्या 107 कुल किता 10 कुल रकबा 8.90 है0 व खेवट संख्या 58 खतौनी संख्या 55 कुल किता 4 कुल रकबा 4.10 है0 भूमि राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 में फूलाबाई बेवा राजसिंह व सुजानसिंह, सज्जनसिंह, रतनसिंह, भीमसिंह पि0 राजसिंह के नाम खेवट संख्या 113 की भूमि एवं खेवट संख्या 58 में फूलाबाई बेवा रामसिंह, सुजानसिंह, सज्जनसिंह, रतनसिंह व भीमसिंह पि0 राजसिंह के नाम दर्ज है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अनुतोष में कथन किया कि वादग्रस्त भूमियों का 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार विधिक बंटवारा किया जावे । इस वाद के विचाराधीन रहते लाडकंवर, अंजना कंवर, उच्छबा कंवर व संतोष कंवर पुत्रियां राजसिंह के द्वारा सुजानसिंह, सज्जनसिंह, रतनसिंह व भीमसिंह के विरूद्ध वाद संख्या 122/2012 दिनांक 13.7.2018 को विवादित आराजियात बाबत् पेश कर अनुतोष चाहा कि विवादित भूमि में वादियागण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा है । इस कारण वाद स्वीकार कर वादियागण एवं प्रतिवादीगण को 1/8, 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बंटवारा किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 82/2010 एवं वाद संख्या 122/2012 को कन्सोलिडेट न कर अलग–अलग विचारण कर दिनांक 24.5.2016 को पत्रावली लोक अदालत में रखने के आदेश दिये एवं दिनांक 9.6.2016 को उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 8.7.2016 को वाद संख्या 82/2010 स्वीकार कर विवादित भूमियों में राजसिंह के पुत्र सुजान, सज्जनसिंह, रतनसिंह व भीमसिंह का 1/4, 1/4 हिस्सा मानते हुए एवं पुत्रियों का हिस्सा न मानते हुए बंटवारे का निर्णय व डिक्री पारित की है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष दोनों वादों के पक्षकारान के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ है न ही पक्षकारान की साक्ष्य ली गई है न ही दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये है । बिना साक्ष्य एवं दस्तावेजात प्रदर्शित कराये वाद संख्या 82/2010 को स्वीकार कर वाद संख्या 122/2012 को अस्वीकार करना अविधिक है । जब विवादित भूमियों के संबंध में समान पक्षकारान के मध्य दो भिन्न भिन्न वाद लंबित थे तो अधी0न्याया0 को दोनों वादों को कन्सोलिडेट कर दोनों पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने वाद संख्या 82/2010 को स्वीकार करने के आधार पर वाद संख्या 122/2012 में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना वाद संख्या 122/2012 को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है । ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा वाद संख्या 122/201 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.2016 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वाद संख्या

122/2012 एवं वाद संख्या 82/2010 को कन्सोलिडेट कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

10. निर्णय आज दिनांक 16.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**